

## प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 10.03.2025

**धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 5200 रुपये बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में 30नि0 शम्भू दयाल मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2025 धारा 318(4),316(2) से संबंधित अभियुक्त पप्पू साहनी को धोखाधड़ी के 5200 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.03.2025 को अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी कर बालू बेच कर पैसा हड़प लेने के संबध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पप्पू साहनी पुत्र चन्द्र शेखर साहनी निवासी मोहनापुर तिकोनिया नं0 1 विश्वनाथपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 181/2025 धारा 318(4),316(2),317(2) भा0न्या0सं0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

### बरामदगी- 5200 रुपया नकद ( धोखाधड़ी का )

### गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 शम्भू दयाल मिश्रा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 अजय कुमार मौर्या थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. का0 कार्तिक पाण्डेय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर